न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0 पत्र संख्याः 71/2017
पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई.ए.एस

भवानीसिंह गुर्जर पुत्र मूलचंद गुर्जर जाति गुर्जर निवासी राजाहेडा पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गुढा आशिकपुरा तहसील बसवा जिला दौस ...अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी दौसा
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये पैरोकार सरकार ...रेपोंडेन्ट

प्रार्थना पत्र पुनर्विचार बाबत निर्णय दिनांक 27.09.2017
जो श्रीमान द्वारा मुकदमा अपील नंबर 47/2017
अनुवानी भवानीसिंह गुर्जर बनाम जिला रसद अधिकारी
दौसा पर पारित किया गया है।

उपस्थितः1.श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपी0 पक्ष
2.श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 20.12.2017

संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा उनवानी अपील में दिनांक 27.09.2017 को अपीलांट भवानी सिंह की अपील अस्वीकार कर खारिज की गई थी। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी भावानी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पुनर्विचार प्रस्तुत किया गया है। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया व संबंधित पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रा0 पत्र के संबंध में प्रा0 पत्र में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए अपनी बहस में निम्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

1- प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्पष्ट बताया था कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रार्थी को यह आदेश व निर्देश दिया था कि प्रार्थी अवशेष स्टाक व पीओ एस मशीन उचित मूल्य दुकानदार को संभला दे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्पष्ट बताया था कि प्रार्थी के दो गोदाम थे और जांच प्रार्थी की अनुपस्थिति में एक ही गोदाम की गयी थी जिसका प्रार्थी ने नक्शा भी पेश किया था और स्पष्ट बताया था कि जो सामान कम बताया गया है वह दूसरे गोदाम में रखा हुआ था और जिला रसद अधिकारी के द्वारा आदेश देने पर उक्त कम बताये गये गेहू व केरोसीन को प्रार्थी ने उदयसिंह गुर्जर एफ पी एस को सुर्पुद किया था जिसकी सुर्पुदगी की रसीद भी पेश की थी जिस तथ्य को अप्रार्थीगण ने स्वंय ने श्रीमान के समक्ष स्वीकार किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता की उक्त बहस और विपक्षी की स्वीकारोक्ति को श्रीमान के द्वारा निर्णय में समाहित नही किया गया है यदि उक्त बहस व स्वीकारोक्ति को निर्णय में समाहित किया जाता है तो जो चीनी व गेहूँ कम पाया जाना कतई सिद्ध नही है किन्तु श्रीमान ने उक्त बिन्दुओ को समाहित नही करके निर्णय पारित किया है।

2- प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्पष्ट बताया था कि जिला रसद अधिकारी एवं कर्मचारियो ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में जांच की थी जांच के वक्त प्रार्थी को बुलाया तक नही था प्रार्थी के दो गोदाम थे किन्तु जिला रसद अधिकारी ने मात्र एक ही गोदाम की जांच की थी। शेष गेहूँ व केरोसीन जो कम बताया था वह दुसरे गोदाम मे ही रखा हुआ था

इस बात को अप्रार्थी ने स्वंय ने बहस के वक्त स्वीकार किया था किन्तु श्रीमान ने उक्त तथ्य को निर्णय में समाहित नही करके निर्णय पारित किया है।

3- प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में स्पष्ट बताया था कि प्रार्थी की दुकान पर मूल्य सूची व स्टाक बार्ड व वांछित सूचनाओ को प्रदर्शन कर रखा था खाद्य सुरक्षा सूची चस्पा कर रखी थी किन्तु जिस वक्त जांच करने गये उस वक्त प्रार्थी के कुछ विरोधी व शरारती तथ्यों ने प्रार्थी को फॅसाने के लिये मिटा दिया हो और खाद्या सुरक्षा सूची चस्पा हो रही थी उसको हटाकर ले गये हो किन्तु श्रीमान ने इस बात को अपने निर्णय में समाहित नही करके और अपना निर्णय पारित किया है।

4- प्रार्थी ने कारण बताओं नोटिस का जवाब दिया था किन्तु प्रार्थी को सुनवायी को मौका नही दिया था जो स्पष्ट सिद्ध था। उदयसिंह गुर्जर को माह दिसम्बर में कोई सामान आवंटन नही किया था उसने प्रार्थी के द्वारा सुर्पुद किये गये गेहुॅ केरोसीन को ही वितरीत किया था जिसकी स्वीकारोक्ति विपक्षी ने भी की थी इससे स्पष्ट स्वीकारोक्ति व स्पष्ट सिद्धी को निर्णय में समाहित किये बिना अपील को खारिज की है। अतः उक्त बिंदुओं की ओर श्रीमान् गौर करते हुए भवानी सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी, अपील सं0 47/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 को निरस्त फरमाकर और प्रार्थी की सम्पूर्ण बहस एवं विपक्षी की स्वीकारोक्ति पर विचार कर पुनः निर्णय पारित फरमाने की कृपा करें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा वरवक्त बहस में जो भी तथ्य बताये गये थे उन पर ही विचार करते हुए अपील सं0 47/2017 दिनांक 27.09.2017 में निर्णय पारित किया गया था जिस पर कोई पुनः विचार करने की आवश्यकताक नहीं है। प्रार्थी द्वारा मनगढन्त एवं बे–बुनियाद तथ्य प्रकट किये गये है। जो उनकी सोची समझी चाल है। अतः प्रा0 पत्र पुनः विचार खारिज किया जावें।

उपभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनः विचार प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पुनः विचार प्रा0 पत्र के माध्यम से जिन बिंदुओं का गौर करने हेतु निवेदन किया गया है, उनके संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत जवाब में अंकित कर रखा है और उन्हीं बिंदुओं की जॉच की जाकर इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई नये तथ्य व ऐसे कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये कि उनके द्वारा बताये गये वरवक्त बहस के तथ्य इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 में समाहित नहीं किये गये हो। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में जिला रसद अधिकारी के आदेश व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा वरवक्त बहस आदि पर पूर्णतः गौर व अध्योपरांत के बाद ही निर्णय पारित किया गया था। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उठाये गये बिंदुओं से हम कतई सहमत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनर्विचार खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनर्विचार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा